न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 143/2018/225 आरटीए

दर्शनसिंह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 139 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. कृष्णकुमार पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. इन्द्रपाल पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. दुलीचंद पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सोहनलाल पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. लिछमादेवी पत्नि भैराराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. चन्द्रप्रकाश पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. रोशनलाल पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. हंसराज पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. विमलादेवी पुत्री महावीर जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. मोहनलाल पुत्र महावीर जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. काशीराम पुत्र महावीर जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13. भवानीशंकर पुत्र अनुराग जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. सुभाष पुत्र अनुराग जाति कुम्हार निवासी 23 पीबीएन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा प्र0 सं0 44/17 अनवानी कृष्णकुमार आदि बनाम दर्शनसिंह

उपस्थित :—

श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10, 12, 13

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक —24.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश किया कि चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 का कि.न. 16, 17, 18, 21 ता 25 की 2.024 है0 नहरी भूमि के उतर दिशा मे चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 3 ता 15, 19, 20 की 3.795 है0 मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी भूमि अप्रार्थी/अपीलांट दर्शनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके कि.न. 3 ता 5 मे 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर कि.न. 5 से 1 की ओर चलता है जिस पर वर्तमान मे पक्की सड़क बनी हुई है। प्रार्थी की भूमि कि.न. 16, 17, 18 मे प्रार्थीगण की रिहायशी ढाणी बनी हुई है अपीलांट की भूमि प.न. 2/337 के कि.न. 5, 6, 15 व प्रत्यर्थीगण की भूमि प.न. 2/337 के कि.न. 16 ता 25 मे पूर्वी दिशा मे पक्का खाला बना हुआ है। प्रार्थीगण अपनी ढाणीयों मे आने जाने व अपनी भूमि को काश्त करने के लिए अप्रार्थी की भूमि चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 5, 6, 15 मे पूर्व दिशा मेब ने पक्के खाले के पश्चिम दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक बीघा मे 1—1 बिस्वा रास्ते का उपयोग पिछले 40 वर्षो से करते आ रहे है। यह रास्ता वर्तमान मे स्वीकृतशुदा नही है। उक्त रास्ता कुछ पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया। उक्त प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 5, 6, 15 पूर्व मे बने पक्के खाला के पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण की ओर प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 5, 6, 15 मे 1—1 बिस्वा अर्थात 0.013 है0 प्रत्येक

बीघा मे रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कतई गलत विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश का अवलोकन नही किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी एडी इन्तजार मे रखी गई है जो आगामी दिनांक 19.04.2018 को रखी गई इसके बावजूद कैम्प की जानकारी व तलबी नही करवाई गई व बिना सूचना तलबी के एकपक्षीय किया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा दी गई रिपोर्ट पूर्ण रूप से रेस्पो0 के प्रभाव मे आकर बनाई गई है। दिनांक 11.05.18 को पटवारी हल्का प्रेमपुरा कैम्प मे मौजूद थी जो किसी भी प्रकार से कैम्प छोड कर नही की गई क्योंकि अन्य काश्तकारो के काम के लिए अनिवार्य रूप से कैम्प मे रहना जरूरी था बावजूद इसके चक 139 आरडी के मौका पर जाकर मौका नक्शा बनाना व रिपोर्ट पेश करना कतई गलत है। अपीलांट दिनांक 11.05.18 को अपने भूमि पर ही था। अगर मौका पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती तो मेरे हस्ताक्षर करवाती अगर अपीलांट द्वारा इन्कार किया जाता तो इसकी रिपोर्ट मे जिक्र करती। अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि को बरसो से लगातार काश्त करता आ रहा है। कि.न. 5, 6, 15 मे कभी भी रास्ता नही रहा है और न ही चालू है। रेस्पो0 वर्षो से प.न. 2/338 के कि.न. 14, 17 व 24 से आते जाते रहे है। प.न. 2/339 के कि.न. 1 ता 5 मे मंजूरशुदा रास्ता है जिसका उपयोग रेस्पो0 कर रहे है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त को किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश किया कि चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 का कि.न. 16, 17, 18, 21 ता 25 की 2.024 है0 नहरी भूमि के उतर दिशा मे चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 3 ता 15, 19, 20 की 3.795 है0 मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी भूमि अप्रार्थी/अपीलांट दर्शनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके कि.न. 3 ता 5 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर कि.न. 5 से 1 की ओर चलता है जिस पर वर्तमान मे पक्की सड़क बनी हुई है। प्रार्थी की भूमि कि.न. 16, 17,

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

18 मे प्रार्थीगण की रिहायशी ढाणी बनी हुई है अपीलांट की भूमि प.न. 2/337 के कि.न. 5, 6, 15 व प्रत्यर्थीगण की भूमि प.न. 2/337 के कि.न. 16 ता 25 मे पूर्वी दिशा मे पक्का खाला बना हुआ है। प्रार्थीगण अपनी ढाणीयों मे आने जाने व अपनी भूमि को काश्त करने के लिए अप्रार्थी की भूमि चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 5, 6, 15 मे पूर्व दिशा मे बने पक्के खाले के पश्चिम दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक बीघा मे 1–1 बिस्वा रास्ते का उपयोग पिछले 40 वर्षो से करते आ रहे है। यह रास्ता वर्तमान मे स्वीकृतशुदा नही है। उक्त रास्ता कुछ पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया। उक्त प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 5, 6, 15 पूर्व मे बने पक्के खाला के पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण की ओर प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 5, 6, 15 मे 1–1 बिस्वा अर्थात 0.013 है0 प्रत्येक बीघा मे रास्ता स्वीकृत किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी दर्शनसिंह को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने के पश्चात राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प प्रेमपुरा मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 के कि.न. 5, 6, 15 मे पूर्व दिशा मे बने पक्के खाला के पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण की ओर 1–1 बिस्वा प्रत्येक बीघा मे रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जो सही है। प्रश्नगत रास्ता 40 वर्षो से लगातार चला आ रहा है उक्त रास्ता की ऐवज मे रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को भूमि दे रखी है तथा मौखिक मे पंचो व सरपंच ने बैठकर पंचायत करके उक्त रास्ते का स्वीकृत कराने की बात भी हुई परन्तु अपीलांट ने उक्त रास्ते को काश्त कर बिजाई कर दी। यह तथ्य ग्राम पंचायत प्रेमपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से भी साबित है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के उक्त अपील प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे अपीलांट का तर्क है कि ''पत्रावली वास्ते तलबी एडी इन्तजार मे रखी गई है जो आगामी दिनांक 19.04.2018 को रखी गई इसके बावजूद कैम्प की जानकारी व तलबी नही करवाई गई व बिना सूचना तलबी के एकपक्षीय किया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा दी गई रिपोर्ट पूर्ण रूप से रेस्पो0 के प्रभाव मे आकर बनाई गई है। दिनांक 11.05.18 को पटवारी हल्का प्रेमपुरा कैम्प मे मौजूद थी जो किसी भी प्रकार से कैम्प छोड कर नही की गई क्योंकि

अन्य काश्तकारो के काम के लिए अनिवार्य रूप से कैम्प मे रहना जरूरी था बावजूद इसके चक 139 आरडी के मौका पर जाकर मौका नक्शा बनाना व रिपोर्ट पेश करना कतई गलत है। अपीलांट दिनांक 11.05.18 को अपने भूमि पर ही था। अगर मौका पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती तो मेरे हस्ताक्षर करवाती अगर अपीलांट द्वारा इन्कार किया जाता तो इसकी रिपोर्ट मे जिक्र करती। अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि को बरसो से लगातार काश्त करता आ रहा है। कि.न. 5, 6, 15 मे कभी भी रास्ता नही रहा है और न ही चालू है। रेस्पो0 वर्षो से प.न. 2/338 के कि.न. 14, 17 व 24 से आते जाते रहे है। प.न. 2/339 के कि.न. 1 ता 5 मे मंजूरशुदा रास्ता है जिसका उपयोग रेस्पो0 कर रहे है।''

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात के अनुसार रेस्पो0 की चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 का कि.न. 16, 17, 18, 21 ता 25 की 2.024 है0 नहरी भूमि के उतर दिशा मे चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 3 ता 15, 19, 20 की 3.795 है0 मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी भूमि अपीलांट दर्शनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके कि.न. 3 ता 5 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर कि.न. 5 से 1 की ओर चलता है जिस पर वर्तमान मे पक्की सड़क बनी हुई है। रेस्पो0 की भूमि कि.न. 16, 17, 18 मे प्रार्थीगण की रिहायशी ढाणी बनी हुई है, अपीलांट की भूमि प.न. 2/337 के कि.न. 5, 6, 15 व रेस्पो0 की भूमि प.न. 2/337 के कि.न. 16 ता 25 मे पूर्वी दिशा मे पक्का खाला बना हुआ है। रेस्पो0 को अपनी ढाणीयों मे आने जाने व अपनी भूमि को काश्त करने के लिए अपीलांट की भूमि चक 139 आरडी के प.न. 2/337 मु.न. 30 कि.न. 5, 6, 15 मे पूर्व दिशा मे बने पक्के खाले के पश्चिम दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक बीघा मे 1–1 बिस्वा रास्ते का उपयोग पिछले 40 वर्षो से करते आ रहे है। रेस्पो0 के कथनो की पुष्टि फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत ग्राम पंचायत प्रेमपुरा के प्रार्थना पत्र से होती है जो ग्राम पंचायत प्रेमपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह साबित होता है कि मु.न. 30 के कि.न. 1 ता 5 तक डामर रोड़ बनी हई है तथा कि.न. 5, 6, 15 मे खाला के चिपते हुये तारबंदी की गई है। कि.न. 5, 6, 15 करीब से 20–30 वर्षो से यह मार्ग चल रहा था जो वर्तमान मे खाले के साथ तारबंदी कर दिया गया मौका पर रकबा खाली है। काश्तकारान की परेशानी देखते हुए कि.न. 5, 6, 15 मे प्रत्येक मे 0.013 मार्ग स्वीकृत किया जाता है तो आवागमन संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के संबंध मे तहसीलदार पीलीबंगा से मौका की विस्तृत रिपोर्ट करने के उपरांत ही रेस्पो0 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए स्वीकृत किया गया है जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि होना प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.05.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official